

टॉप-10 अपराधी की सूची, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी

| क्र.सं. | टॉप-10 अपराधियों के नाम व पता   | अपराधिक इतिहास का विवरण |   | विचाराधीन अभियोगों की अद्यतन स्थिति |
|---------|---|-------------------------|---|-------------------------------------|
|         |   | अ.सं.                   | घारा  |                                     |
| 1       | नवाबाद चन्द्र शेखर शुक्ला पुत्र कुन्ज बिहारी नि. तहसील के पीछे, नवाबाद, झाँसी | 531/91                  | 3 यूपी गुण्डा एक्ट  |                                     |
| 2       |   | 581/91                  | 3 यूपी गुण्डा एक्ट नवाबाद   |                                     |
| 3       |   | 738/92                  | 420/467/468/353 भादवि नवाबाद  |                                     |
| 4       |   | 758/92                  | 420,467,468,471,504 भा.द.वि.,   |                                     |
| 5       |   | 392/92                  | 325,184,353 भा.द.वि., मछरानीपुर   |                                     |
| 6       |   | 9/93                    | 506 भा.द.वि., नवाबाद  |                                     |
| 7       |   | 649/97                  | 420,467,468,471 भा.द.वि.  |                                     |
| 8       |   | 73/93                   | 141,468,471 भा.द.वि.  |                                     |
| 9       |   | 77/97                   | 25 आर्म्स एक्ट बरुआ सागर  |                                     |
| 10      |   | 186/98                  | 188 आर्म्स एक्ट   |                                     |
| 11      |   | 1813/99                 | 397,504,506 भा.द.वि.  |                                     |
| 12      |   | 1810/99                 | 25 आर्म्स एक्ट  |                                     |
| 13      |   | 1749/99                 | 147,148,504,506 भा.द.वि.  |                                     |
| 14      |   | 522/09                  | 387 भा.द.वि., सीपरी बाजार   |                                     |
| 15      |   | 237/99                  | 353,504,506 भा.द.वि., कातवाली, महोबा  |                                     |
| 16      |   | 20/2000                 | 2/3 गैंग. एक्ट  |                                     |
| 17      |   | 81/2000                 | 110 द.पू.सं.  |                                     |
| 18      |   | 769/02                  | 147,148,149,307,504 भा.द.वि.  |                                     |
| 19      |   | 268/05                  | 323,504,506,268 भा.द.वि., सकरार   |                                     |
| 20      |   | 869/06                  | 147,342,364 भा.द.वि., 7 क्रि.ला. एक्ट                                       |                                     |
| 21      |   | 1122/07                 | 447,448,506 भा.द.वि., सीपरी बाजार   |                                     |
| 22      |   | 746/07                  | 323,504,506 भा.द.वि., नवाबाद  |                                     |
| 23      |   | 1833/07                 | 447,448,467,471,506 भा.द.वि.,   |                                     |
| 24      |   | 1834/07                 | 447,448,467,471,506 भा.द.वि.  |                                     |
| 25      |   | 1835/07                 | 447,448,467,471,506 भा.द.वि.  |                                     |
| 26      |   | 814/09                  | 147,323,504,506,353 भा.द.वि.,   |                                     |
| 27      |   | 878/92                  | 3 यूपी गुण्डा एक्ट  |                                     |
| 28      |   | 84/10                   | 147,148,149,352,440,323,332,307,308,353,341 भा.द.वि., 3/4 लोक सम्पत्ति अधि. |                                     |
| 29      |   | 85/10                   | 147,148,149,352,440,323,332,307,308,353,341 भा.द.वि., 3/4 लोक सम्पत्ति अधि. |                                     |
| 30      |   | 86/10                   | 147,148,149,352,440,323,332,307,308,353,341 भा.द.वि., 3/4 लोक सम्पत्ति अधि. |                                     |
| 31      |   | 189/10                  | 2/3 गैंग. एक्ट  |                                     |
| 32      |   | 531/91                  | 3 यूपी गुण्डा एक्ट  |                                     |
| 33      |   | 581/91                  | 3 यूपी गुण्डा एक्ट नवाबाद   |                                     |
| 34      |   | 738/92                  | 420/467/468/353 भादवि नवाबाद  |                                     |
| 35      |   | 878/92                  | 3 यूपी गुण्डा एक्ट नवाबाद   |                                     |
| 36      |   | 67/97                   | 25/30 ए एक्ट बरुआसागर   |                                     |

उ.स. No 27A

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 274/82  | 332/358/504/506 भादवि थाना कोत0 महोबा                     |  |
| 23/84   | 386 भादवि व 10/12 सीआरपीसी                                |  |
| 39/84   | 386 भादवि व 10/12 सीआरपीसी                                |  |
| 415/88  | 25 ए एक्ट महोबा   |  |
| 416/88  | 20 एनडीपीएस एक्ट महोबा                                    |  |
| 731/79  | 323/504/506 भादवि महोबा                                   |  |
| एनसीआर  |   |  |
| 30/89   | 279/337/338 भादवि हमीरपुर                                 |  |
| 366/81  | 506 भादवि महोबा   |  |
| 08/82   | 162/384/420 भादवि महोबा                                   |  |
| 107/80  | 142/145/147/436/506 भादवि महोबा                           |  |
| 202/82  | 352/504/506 भादवि महोबा                                   |  |
| 89/82   | 323/504/506 भादवि महोबा                                   |  |
| एनसीआर  |   |  |
| 249/82  | 3 यूपी गुण्डा कोत0 महोबा                                  |  |
| 205/83  | 506 भादवि महोबा   |  |
| एनसीआर  |   |  |
| 1811/99 | 25 ए एक्ट नवाबाद  |  |
| 67से89/ | 25/27/30 ए एक्ट   |  |
| 536/91  | 395/387 भादवि थाना म0प्र0                                 |  |
| 341/79  | 323/504/506 भादवि महोबा                                   |  |
| एनसीआर  |   |  |
| 5/93    | 506 भादवि महोबा   |  |
| 81/2    | 110 सीआरपीसी  |  |
| 48/16   | 376 डी, 5, 6 भादवि व 3(2) 5 एसीएसटी एक्ट महिला थाना झाँसी |  |

To Shri. Sanjay Ad. Rajesh Srivastava

Ch. Contam. No 8 of 20/0

प्रेषक,

✓ श्रीरंजित विष्णु सिंह,  
जिला न्यायाधीश,  
झोंसी।

सेवा में,

महानियन्त्रक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

पत्र संख्या: 443/17

दिनांक: 23.2.2010 ✓

विषय: आज दिनांक-23.2.2010 को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.30 बजे के मध्य अधिवक्ताओं के गुट द्वारा न्यायालय परिसर के अन्दर, न्यायालयों व न्यायालय कक्षों में तोड़फोड़ कर न्यायालय की सुपरिष्ठ को क्षति पहुँचाने, न्यायिक कार्यवाही बाधित करने व न्यायालय की अवमानना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में साक्षर अनुरोध करने हेतु आज दि-23.2.2010 को प्रातः लगभग 11.00 बजे लगभग 100 अधिवक्ताओं का एक गुट श्री चन्द शीखर शुक्ला एडो, श्री सुरेश शर्मा एडो, श्री युधो-द रिशारिया एडो, श्री नृपो-द निगम एडो, श्री प्रमोद कुमार मिश्रा एडो, श्री देवीराम एडो एवं श्री प्रमोद कुमार शिवहरे एडो आदि के नेतृत्व में नारेबाजी व अमर शब्दों का प्रयोग करते हुए मेरे न्यायालय कक्ष में आया तथा मेरे न्यायालय में तैनात कोर्ट गुडरिज कान-सो श्री सन्तराम सिंह चौहान को खींच कर बरामदे में ले जा कर मारा पीटा। तदुपरकत अधिवक्ताओं के उक्त गुट ने मेरे न्यायालय कक्ष एवं परिष्क प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय के फर्नीचर, टाईपराईटर मशीन, फैंस मशीन, दरवाजों, हलीफोन एवं लिडरियों व मेजों में लगे कीर्तियों को तोड़ फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। तदुपरकत उक्त गुट न्यायालय भवन का चक्कर लगाते हुए हंगामा करते हुए विशेष न्यायाधीश (दस्तु प्रकाशित क्षेत्र), विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट एवं अपर जिला जज कक्षा सं 2, के न्यायालयों में घुस कर तोड़फोड़ किया तथा वादकारियों को डरा घमका कर भगा दिया।

उपरोक्त के परचात अधिवक्ताओं के उक्त गुट ने न्यायालय भवन के भूतल पर स्थित मुख्य द्वार में लगे मेटलडिडेक्टर को तोड़फोड़ कर फेंक दिया तथा भूतल पर स्थित विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम के न्यायालय कक्ष में जा कर वादकारियों को डरा-घमका कर भगा दिया जिससे इस न्यायालय तथा इससे लगे हुए अपर जिला जज कक्ष सं 0-5 के न्यायालय में उपस्थित वादकारीयण अधिवक्तागण के उक्त हंगामे से डर कर भाग गये।

उपरोक्त तोड़फोड़ के बाद अधिवक्तागण का उक्त गुट न्यायालय परिसर में स्थित नवीन भवन में जा कर भूतल व प्रथम तल पर स्थित कुछ न्यायालयों में तोड़फोड़ किया और उसके परचात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व न्यायिक न्यायालय के परिसर में जा कर अमर शब्दों का प्रयोग करते हुए नारेबाजी करते हुए हंगामा किया तथा पारिवारिक न्यायालय कक्ष में तोड़फोड़ किया।

अधिवक्ताओं के उक्त आमर्षादित एवं आभारक्षिक कृत्य के कारण पूरे न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई और न्यायालय कक्षों में उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं उपस्थित वादकारीगण गमकाना हो गये और लगभग सभी वादकारी न्यायालय परिसर से भाग गये, जिसके कारण पूरे दिन किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्य नहीं हो सका। तोड़फोड़ की कार्यवाही के समय अधिवक्ताओं का उक्त गुट न्यायपालिका व मेरे निष्के अगद नारे बाजी कर रहा था।

अधिवक्ताओं के उपरोक्त कृत्य को देखते हुए मेरे द्वारा इसकी सूचना वरिष्क पुलिस अधीक्षक व जिलाप्रशासन को दी गई, जिस पर वरिष्क पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट पुलिसबल के साथ न्यायालय परिसर में आये उसके बाद भी अधिवक्ताओं के उक्त गुट ने नारेबाजी करते हुए उपद्रव किया।


(R.S.)

4/2/10  
24/2/10

उपरोक्त अधिवक्तागण के न्यायालय परिसर से जाने के परवात मेने न्यायालय कर्मों व कार्यालयों का निरीक्षण किया। विभिन्न न्यायालयों व कार्यालयों से अधिवक्तागण की उचित अग्रदत्ता, तौडफोड़ व अन्यायित आचरण के सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट एवं मेरी निरीक्षण आख्या को इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत करना है कि अधिवक्तागणों को इसी गुट द्वारा पूर्व में भी न्यायालय परिसर में अग्रदत्त व्यवहार, गारेबाजी आदि की कार्यवाही की गई थी, जिसकी सूचना मेरे पूर्वविकारी द्वारा इस कार्यालय के पत्र सं०-66/एस०ए०३१०/२००९ दिनांकित-8.5.2009 के माध्यम से मान० सच्च न्यायालय को प्रेषित की गई थी। घटना की लिखित सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जॉर्सी को अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है। अतः आपसे अनुरोध है कि दोषी अधिवक्तागण को न्यायालय समय में न्यायालय कर्मों व कार्यालयों में घुस कर तौडफोड़ व अग्रदत्तित आचरण करने एवं आपराधिक कृत्य कर न्यायिक कार्य पूर्णतः बाधित करने तथा न्यायालय की अवमानना करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर दण्डित करने हेतु उचित तथ्य को मान० सच्च न्यायालय के संज्ञान में लाने का कष्ट करें। सादर।

दिनांक-23.2.2010

भवदीय,

  
(तीरेन्द्र विक्रम सिंह)  
जिला न्यायाधीश  
जॉर्सी।

संलग्नक-यथा उपरोक्त।  
प्रतिलिपि: निजी सचिव, मान० प्रशासनिक न्यायमूर्ति (जनपद जॉर्सी) मान० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को, इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस पत्र को मान० प्रशासनिक न्यायमूर्ति जी के समक्ष सादर अवलोकनार्थ व अग्रतर निर्देशार्थ रखने का कष्ट करें।

जिला न्यायाधीश,  
जॉर्सी।

20.20

प्रेषक,

श्रीमती रचिता सिंह,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
कक्षा 10-9 असाई।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
असाई।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि आज प्रातः 10.30 बजे जब मैं न्यायालय कक्षा में न्यायिक कार्य सम्पादित कर रही थी, तब अधिवक्ता गण, चन्द्रशेखर शुकला, सुरेश सेनी, वृजेन्द्र निगम अपने साथ अन्य अज्ञात 40-50 अधिवक्तागण को लेकर न्यायालय कक्षा में घुस आये और जोर-जोर से चिल्ला कर धाय का माहीत पैदा किया तथा चाद कारियों को भागा दिया इस प्रकार न्यायिक कार्य सम्पादित नहीं किया जा सका।

रिपोर्ट माननीय महोदय के लक्षा लुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

दिनांक- 23-2-2010

*Shobha*  
श्रीमती रचिता सिंह,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्षा 10-9  
असाई।

प्रेमच, /

दिलीप कुमारसयान,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
कक्षा नं. 10 अंतिम ।

सेवा में,

माओ जनमत न्यायापीठ,  
अंतिम ।

महोदय,

तद्विनय निवेदन है कि आज दिनांक 23-2-10 को  
में न्यायालय कक्षा में न्यायिक कार्य समाप्त कर रहा था, तभी  
समय करीब 11.40 बजे अधिवक्ता चन्द्रशेखर राजू, पुणे  
विश्ववरे, एडवोकेट सिहारिया एवं अन्य 30-40 अधिवक्तागण एक  
सांठ आये और नारे बाजी करते हुये न्यायालय में उपस्थित वाट-  
कारियों को डरा डमका कर भस्मित कर भाग दिया और  
पेशावर से फाईल छीनने का प्रयास किया । उक्त लोगों ने न्यायालय  
कक्षा के राईटिंग डेस्क का काँच तोड़ दिया एवं कुर्सीया भी तोड़ दी ।  
इससे न्यायिक कार्य में व्यवधान हुआ और न्यायिक कार्य समाप्त  
नहीं किया जा सका ।

आठवा मासुनीय महोदय को सूचना एवं आवश्यक  
कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

सादर ।

दिनांक 23-2-2010

भवदीय  
D. S. Sanyal  
दिलीप कुमारसयान ।  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्षा नं. 10  
अंतिम ।

प्रेम्क,

राकेश त्रिपाठी,  
अपर सिविल जज, सी. डि. ५,  
ब्लॉक नं० ७, झांसी।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,  
जनपद-झांसी।

विषय:- न्यायिक कार्य सम्पादन में व्यवधान डालने के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक स-सम्मानपूर्वक निवेदन करना है कि

आज दिनांक 23.02.2010 को समय 11.30 बजे सुबह जब  
में न्यायालय में न्यायिक कार्य का सम्पादन कर रहा था एवं  
पत्रावलिओं में पक्षकारों के भावत आवाज लगवायी जा रही  
थी तभी श्री युन्ड्रेखर गुक्ला एडवो, श्री देवी सिंह, एडवो एवं  
श्री सुरेश सैनी व श्री प्रमोद शिवहरे, एडवो 15-20 अन्य अधिवक्ता  
गण के साथ न्यायालय में जोर-जोर से आवाज लगाते हुए सुन  
आये। न्याय में उपस्थित जादकारियों को जब एवही न्याय से  
बाहर निकाल दिया एवं अंगूठ गन्तव्यों का उपयोग करते हुए  
मय का माहौल पैदा करके न्यायिक कार्य में व्यवधान डाला

अतः पत्र माननीय महोदय को वास्ते सुवनार्थ एवं  
उचित आदेशार्थ तत्वर प्रेषित है।

"स-सम्मान"

भवदीय  
*Rakesh Tripathi*

॥ राकेश त्रिपाठी ॥  
अपर सिविल जज, सी. डि. ५  
ब्लॉक नं० ७, झांसी।

दिनांक 23. 2. 2010

प्रेम,

60 गंगालिनी सिंह,  
अपर सिविल जज, 20100/20040,  
न्यायालय नक्ष संख्या-12, नगीरी।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय,  
असिम।

महोदय,

सादर निवेदन करना है कि आज दिनांक-23.02.2010

को मैं जब न्यायालय नक्ष में लगभग 11.45 बजे न्यायिक कार्य

सम्पादित कर रही थी, तभी अधीनकार श्री न. प्रो. अ. गुप्ता, पु. जे. 22

रिश्तारिया एवं 20-25 अन्य अधिवक्ताओं न्यायालय नक्ष में रुकी

आये तथा वादकारियों को भग. नै. दया, रि. जे. न्ययिक कार्य

सम्पादित नहीं किया जा सका।

अतः श्रीमान्जी की सेवा में आवरपन कार्यवाही हेतु सादर

वेदित है।

"सादर"

दिनांक-23.02.2010

60 गंगालिनी सिंह,  
अपर सिविल जज, 20100/20040,  
न्यायालय नक्ष संख्या-12, नगीरी।



प्रेषक,

निरुपमा विहम  
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
कक्षा संख्या-7, झारसी।

सेवा में,

माननीय जिला न्यायाधीश,  
झारसी।

महोदय,

ससम्मान निवेदन पूर्वक अवगत कराना है कि अज्ञान दिनांक-  
23.2.2010 को समय करीब 11:35 बजे अधिवक्ता चन्द्र शंकर शुक्ता,  
प्रमोद शिवहरे, पुष्पेन्द्र लिखारिया तथा 7-9 अन्य अधिवक्तागण  
न्यायालय में भाये तथा न्यायालय कक्ष में उपस्थित वादकारियों को  
हरा- धमका कर आतंकित किया तथा अभिहित कर न्यायालय कक्ष से अग्रर-  
दिया। न्यायालय के रीडर का टाईप राईटर फेंक कर तोड़ दिया, कुर्सियां  
होयस पर फेंक दी, जिससे डायस पर रखा गीला टूट गया। कुर्सियां तोड़  
दी तथा कुछ पत्रावतियां फेंक दी, जिससे न्यायिक कार्य में बाधापहुँची  
तथा न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुँची है।

आज्या माननीय महोदय की सेवा में सादर उचित कार-  
वाही प्रेषित है।

दिनांक- 23.2.2010

भवदीया,  
*Nirupama Visham*  
23/2/10  
निरुपमा विहम  
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
कक्षा संख्या-7, झारसी।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश  
काशी

द्वारा - उभारी न्यायाधीश,  
बगहर, जिला-काशी, काशी

महोदयजी,

निम्न निकेतन है कि 31/1/1954 दिनांक, 1954 के प्रथम  
परिच 11 अंके दिन उभारवागण श्री विवेक कुमार निम्न, श्री प्रबुद्ध  
दीवारी, श्री उभारवागण निम्न, श्री सुदेश प्रसादी, श्री उभारवागण  
विगतहरे का तयाम उभारवागण श्री उभारवागण शुभलम श्री रेकी

एक के केवल में काशी का न्यायाधीश काशी में काशी में  
फौज श्री उभारवागण उभारवागण का न्यायाधीश काशी में काशी में  
न्यायाधीश काशी में काशी में काशी में काशी में

- ① उभारवागण उभारवागण काशी में काशी में काशी में काशी में
- ② ए.ए.ए. काशी में काशी में काशी में काशी में
- ③ विवेक न्यायाधीश (1. ज. 1954) के न्यायाधीश काशी में काशी में काशी में काशी में
- ④ न्यायाधीश उभारवागण काशी में काशी में काशी में काशी में
- ⑤ उभारवागण काशी में काशी में काशी में काशी में
- ⑥ न्यायाधीश उभारवागण काशी में काशी में काशी में काशी में
- ⑦ एक राज्य उभारवागण काशी में काशी में काशी में काशी में

अध्यापक  
Dr.

2/1/54  
निम्न न्यायाधीश  
न्यायाधीश काशी

Court No. - 55

Case :- CONTEMPT APPLICATION (CRIMINAL) No. 3 of 2010

Petitioner :- In Re:

Respondent :- Sri Chandra Shekhar Shukla And 6 Ors

Petitioner Counsel :- Aga

Respondent Counsel :- Ajal Krishna, M.L.Khan, R.L. Nambra

Hon'ble Mrs. Poonam Srivastava, J.

Hon'ble Yogesh Chandra Gupta, J.

Heard Sri M.L.Khan, Sri Ajal Krishna, and Sri Rajiv Prasad holding brief of Sri Rajeev Lochan Shukla on behalf of the respondents. An affidavit has been preferred on 9.9.2010 by the opposite parties tendering unconditional apology as well as that they will not commit any act in future lowering the dignity and majesty of any Court. Beside that it was brought to our notice that criminal proceedings have been drawn against the opposite parties and for a considerable period they remained in jail and now they are bailed out. In these circumstances, we accept the apology and discharge the contempt notice against the opposite parties.

The Contempt petition is disposed of accordingly. Record may be consigned.

Order Date :- 27.9.2010

Zh

**जिला अधिवक्ता संघ झांसी (उ.प्र.)**  
**DISTRICT BAR ASSOCIATION, JHANSI (U.P.)**



मि. प्रकाश त्रिपाठी एडवोकेट ✓  
 अध्यक्ष  
 गृह खण्डेराव गेट, झांसी (उ.प्र.)  
 फोन: 2445091  
 मोबाइल: 9415504695

उदय राजपूत एडवोकेट  
 सचिव  
 तहसील के पास, झांसी (उ.प्र.)  
 फोन 2448380  
 मोबाइल: 9839110452

दिनांक... 18.06.2005

रमेश कुमार यादव एडो  
 वरिष्ठ उपाध्यक्ष  
 फोन: 2320933

प्रणय श्रीवास्तव एडो  
 कनिष्ठ उपाध्यक्ष  
 फोन: 2350645  
 मोबाइल: 9415057573

अरुण कुमार निगम एडो  
 संयुक्त सचिव  
 फोन: 2330986

प्रदीप शर्मा एडो  
 कोषाध्यक्ष  
 फोन निवास: 2311242  
 ऑफिस: 2311922

अनिल कुमार दीक्षित एडो  
 आयुष्य निरीक्षक  
 फोन: 2320249

**कार्यकारिणी सदस्यगण**

बलवान सिंह यादव एडो  
 फोन: 2443702

जवाहर लाल राजपूत एडो  
 फोन: 2320709

रविन्द्र कुमार शर्मा एडो  
 फोन: 2350461 P.P.

सुकेश सिंघल एडवोकेट  
 फोन: 2448429

राजीव शर्मा (राजा) एडो  
 फोन: 2445171, 2442978  
 मोबाइल: 9839348593

प्रमोद कुमार मिश्रा एडो  
 फोन: 2361787

पत्रांक:

जि. 18/06/05  
 जिला अधिकारी महोदय,  
 अलीगढ़।

**विषय :** जनसह मशीनों व जनसह कारों के डिस्ट्रीब्यूटिव व्यक्ति एम्प्लॉयड गुरुला हरि लाल एडवोकेट को जिला पता देकर राज्य व दोमाली कन्सुम का गणन प्रमाण करने के सम्बन्ध में.

महोदय,

आपकी अगत खाना है कि जनसह जवाहर लाल शर्मा एम्प्लॉयड गुरुला नाम का व्यक्ति का नाम क्या है। उक्त व्यक्ति जनसह कारों का गणन करता है व कारों में फिटिंग करता है। उपरोक्त एम्प्लॉयड गुरुला एक आपराधिक व्यक्ति जनसह मशीनों व जनसह कारों का डिस्ट्रीब्यूटिव उपरोक्त है उसके विरुद्ध मशीनों व कारों में गणन विनाश तथा 35 युवकों परीक्षा हुए हैं उक्त एम्प्लॉयड गुरुला एडवोकेट को आपराधिक गतिविधियों के कारण जिला अधिवक्ता संघ झांसी में उसकी संरक्षण स्थापना कर उसके परीक्षण निरस्त किये जाने का प्रस्ताव बार काउन्सिल आफ उ.प्र. को भेजा गया है जिसकी कार्यवाही बार काउन्सिल आफ उ.प्र. में विचार-धीन है। उक्त व्यक्ति उ अलीगढ़ में कभी भी नहीं रहा है उक्त एम्प्लॉयड गुरुला एक आपराधिक व्यक्ति है। इसी प्रकार इसने एक रिवायर का लॉहरीस लालपुर का पतादेकर बनाया था। बाद में जिला मजिस्ट्रेट को एक जानकारी करायी गयी तब उसका लॉहरीस निरस्त किया गया है। उक्त एम्प्लॉयड गुरुला का आपराधिक इतिहास व लालपुर के जिला मजिस्ट्रेट का लॉहरीस निरस्त का आदेश संलग्न है।

अतः आपके दृष्टि से कि यह उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक विचार कर आपके यहाँ से जारी किये गये राज्य लॉहरीस निरस्त किये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें। तब इस कार्यवाही से बरे कार्यवाही को अगत कराने का कष्ट करें।

प्रमोद कुमार मिश्रा  
 P.M.S. जिला अधिवक्ता  
 जिला अधिवक्ता त्रिपाठी।  
 Distt. Bar Assn.

**प्रतिनिधि :**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अलीगढ़ को उपरोक्त विषयों हेतु प्रेषित।

# BAR COUNCIL OF UTTAR PRADESH

19, Maharshi Dayanand Marg  
Allahabad.

प्रदेशीय न्यायिक  
अधिकारियों के मध्य सुपरीम  
न्यायिक  
अधिकारियों को सौंपा जायेगा  
सौंपत किया जायकि यदि श्री प्रसाद किसी  
न्यायालय में न्यायिका के रूप में कार्य  
अभिलेख प्रस्तुत करें तब तदनुसार अलग  
न्यायिक

Telephone: 0532-2623501 (3)  
Fax: 0532-2120068  
Date: 24th Apr 2006

## NOTIFICATION

प्रभारी जिला न्यायाधीश,  
2.5.2006

It is notified for general information that Sri Chandra Shekhar Shukla, S/o Sri Kunj Bihari Shukla R/o D-92, Mata Tila Colony, Jhansi, Enrolment No. U.P.5739/89 dated 10.12.1989, has been removed from the roll of the Bar Council of Uttar Pradesh vide order of the Disciplinary Committee of the Bar Council of India in the removal proceeding no. 5/2005 dated 12.02.2006.

Sri Chandra Shekhar Shukla is not entitled to practice in any court of

Law.

Secretary

Copy to:-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

1. The Secretary, Bar Council of India, 21, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi.
2. Secretariat of All State Bar Councils in India.
3. The Registrar Supreme Court of India, New Delhi.
4. The District Judge/District Magistrate, Jhansi.
5. The Registrar of all High Court in India.
6. The District Judge/District Magistrate in the State.
7. The Registrar Board of Revenue, U.P. at Allahabad.
8. The Chief Secretary, U.P. Shasan, Lucknow.
9. The Secretaries of all Bar Association in the State.
10. The Chief Justice of India, Supreme Court of India, New Delhi.
11. Ministry of Law & Justice, Govt. of India, New Delhi.
12. Sri Chandra Shekhar Shukla, S/o Sri Kunj Bihari Shukla, R/o B-92, Mata Tila Colony, Jhansi.
13. President / Secretary, Zila Adhivaktar Sangh, Jhansi.

बार काउंसिल ऑफ इन्डिया  
BAR COUNCIL OF INDIA

21, राउस अवोडु इंस्टीट्यूट ऑफ  
नई दिल्ली - 110 002  
21, Rouse Avondu Institutiona Ar  
Now Delhi - 110 002

ICI:D: 10/07/2006

Regd. A.D.

Dated: 14.3.2006

Re: Removal Proceeding No.5 /:2005  
in the matter of Shri Chander Shekher Shukla:

The above Removal Proceeding received from your Bar Council under Section 26(1) of the Advocates Act, 1961 in the matter of Shri Chander Shekher Shukla was posted for hearing on 12.2.2006 and the proceeding of the matter is given hereunder :

887  
21-5-06  
D/L  
29/12/06

"This is a reference under Section 26 of the Advocates Act. The case against Shri Chander Shekhar Shukla is that he submitted a false affidavit at the time of enrolment. In the said affidavit, he stated that there was no criminal case pending against him. The matter was brought to the notice of the Bar Council of Uttar Pradesh by a complaint dated 3.8.2002 filed by the President, District Bar Association, Jhansi. The State Bar Council after taking cognizance of the complaint referred the matter to the Disciplinary Committee of the State Bar Council. Despite service of notice upon Shri Shukla by the Disciplinary Committee, Shri Shukla did not appear. As such, the matter proceeded ex parte against him. The Disciplinary Committee after due enquiry came to the conclusion that there are serious allegations against Shri Shukla concerned and therefore the Disciplinary Committee of the Bar Council of Uttar Pradesh referred the matter to this Council.

We have heard Mr. Chander Shekhar Shukla who appears in person. We have also perused the relevant records which have been forwarded to this Council by the aforesaid Committee of the State Bar Council. Our attention has been drawn to a Judgement dated 10.11.1992 passed by the learned Sessions Judge, Jhansi in the Bail application No.1084/1992 titled Chander Shokhor Shukla - vs - State of Uttar Pradesh. In the said order the Learned Sessions Judge has listed as many as 19 criminal cases which were pending on that date. All the aforesaid cases were pending on the date of the order i.e. 10.11.1992. Upon enquiry by this Council the advocate concerned Shri Chander Shakhor Shukla stated that he obtained enrolment as an advocate in the year 1989 and he submitted the affidavit in question to obtain the enrolment as an advocate. In view of the fact that as many as 19 criminal cases were pending against him as on 10.11.1992 i.e. the date of order of the learned Sessions

Judge, Jhansi, the statement made by the petitioner in his affidavit that there was no criminal case pending at the time when he applied for enrolment is absolutely a false statement. We have therefore no hesitation to hold that Shri Chandor Shekhar Shukla deliberately filed a false affidavit for the purpose of securing enrolment as advocate. As Chandor Shekhar Shukla secured enrolment as advocate by deliberate misrepresentation of essential fact and also by committing fraud upon the Enrolment Committee of the State Bar Council of Uttar Pradesh, we, therefore have no hesitation to order removal of the name of Chandor Shekhar Shukla from the rolls of the Bar Council of Uttar Pradesh by cancelling the Sanad granted to him.

The enrolment of Shri Chandor Shekhar Shukla as advocate shall stand cancelled and the sanad which was granted to him may be directed to be returned to the Bar Council of Uttar Pradesh.

The reference is disposed of accordingly."

The file received from the State Bar Council is returned herewith.

Yours faithfully,

(S. RADHAKRISHNAN)  
SECRETARY

Encl: as above

To:

1. Shri Chandor Shekhar Shukla

CJM Court Compound  
Jhansi  
Uttar Pradesh

2. The Secretary,  
Bar Council of Uttar Pradesh  
19, Maharishi Dayanand Marg  
Allahabad

B 21

पुष्पक,

मूल्य सुधार विभाग,  
मिडिल जंजिर कार, कोलकाता।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश, मुहोदय,  
कोलकाता।

महोदय,

सादर विनम्रता से यह कि आज दिनांक-

23-02-2010 को मुद्रांकन क्रमांक 1025 के तहत जारी अधिसूचना

अधीनस्थ न्यायाधीशों में न्यायाधीशों के कार्यभारों को दे

तभी अधिवक्ता श्री वन्देसोमर सुक्ता, एल.एन. वि. उपाधीश, प्रमोद

राववरे एवं अन्य 10-12 अधिवक्ताओं अग्रे सूची के प्रयोग

करते हों, न्यायाधीशों को दे हूँ अथवा वास्तविकों को भंग

देया तथा न्यायाधीशों को दे जाकर न्यायिक विरतों को अर्थात्

तौल-फौल देया, जिसके न्यायाधीश कार्य सम्पादित नहीं किया जा

सकता।

अतः अधिसूचना के अन्तर्गत सूचना एवं आवश्यक कार्य-

वाही हेतु प्रेषित है।

✓ दिनांक-23-02-2010

*KK*  
23/2/10  
मिडिल जंजिर कार, कोलकाता।



न्यायालय: अरविन्द सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
नियाड़ी जिला-टीकमगढ़ (म०प्र०)

आप०प्रक०क्र०-815/2006  
संस्थापित दिनांक 26.09.06

नकल आवेदन क्र० 1372/15  
न्याय शुल्क 22/5  
दिनांक 09-9-15



मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना निवाड़ी  
जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)

—अभियोजन

// बर्नाम //

1. संतराम उर्फ संतू पाल तनय अमान, उम्र-38 वर्ष, निवासी-ग्राम बनगुवा थाना-बरुआसागर झांसी
2. मान सिंह तनय मेहताव सिंह यादव, उम्र-35 वर्ष,
3. शेर सिंह तनय मेहताव सिंह यादव, उम्र-34 वर्ष
4. अतर तनय मेहताव सिंह यादव, उम्र-44 वर्ष
5. सुरेन्द्र सिंह तनय मेहताव सिंह, उम्र-40 वर्ष,
6. मुलायम (फरार घोषित) तनय मेहताव सिंह उम्र-39 वर्ष, पांचो निवासी-जराय का मठ बरुआसागर जिला झांसी उ०प्र०
7. धर्मेन्द्र तनय नारायण खंगार, उम्र-38 वर्ष,
8. हेमराज तनय शिवचरन खंगार, उम्र-48 वर्ष,
9. रमेश खंगार तनय रमेश खंगार, उम्र-65 वर्ष, तीनों निवासी-ग्राम मगवंतपुरा, थाना-सदर बाजार झांसी उ०प्र०
10. पप्पू उर्फ अक्षेश तनय सुंदरलाल तिवारी, उम्र-45 वर्ष, निवासी-ग्राम पुतरी खेरा, थाना-सैंदरी
11. चन्द्रशेखर तनय के.बी. शुक्ला, उम्र-50 वर्ष, निवासी-सिविल लाईन झांसी उ०प्र०

—अभियुक्तगण

- राज्य द्वारा सहायक जिला लोक-अभियोजन अधिकारी।
- अभियुक्तगण संतराम उर्फ संतू अतर सिंह, सुरेन्द्र सिंह, शेर सिंह, मान सिंह द्वारा अधिवक्ता श्री आर०आर० साहू।
- अभियुक्तगण पप्पू उर्फ अक्षेश, रमेश खंगार, हेमराज, धर्मेन्द्र, चन्द्रशेखर शुक्ला द्वारा अधिवक्ता आर०बी० खरे।
- अभियुक्त मुलायम सिंह यादव फरार घोषित।

11.8.15  
अरविन्द सिंह  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोट:- अभियुक्त मुलायम सिंह यादव का प्रकरण में फरार हो जाने से उसके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है तथा अन्य अभियुक्तगण संतराम उर्फ संतू अतर सिंह, सुरेन्द्र सिंह, शेर सिंह, मान सिंह, प्रमू उर्फ अवधेश, रमेश खंगार, हेमराज, धर्मन्द्र, चन्द्रशेखर शुक्ला के संबंध में यह निर्णय पारित किया जा रहा है।

// निर्णय //

आज दिनांक 11.08.2015 को घोषित।

01/ अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147, 148, 336, 427 भादपा 2005 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 20.07.2005 को दिन में करीब 10:00 बजे ग्राम-बांसवान बरुआनाला थाना निवाड़ी क्षेत्रांतर्गत विधि विरुद्ध जमाव गठित किया जिसका सामान्य उद्देश्य फरियादी राजेन्द्र नायक, कैलाश तिवारी एवं अन्य लोगों का मानव जीवन संकटापन्न करना एवं मोटरसाइकिलों और जीप को क्षतिग्रस्त कर रिश्टी कारित करना तथा अन्य अपराध करना था तथा उक्त जमाव के सदस्य होते हुए सामान्य उद्देश्य के अंग्रशरण में घातक आयुध राईफल, कट्टा, बंदूकों आदि से सुसज्जित होते हुए विधि विरुद्ध जमाव में भाग लेकर बल या हिंसा का प्रयोग करके बलबा कारित किया एवं उसी समय उपेक्षा या उतावलेपन से राईफल, कट्टा से फायर करके मानव जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया एवं मोटरसाइकिले एवं जीप तोड़कर रिश्टी कारित की।

02/ अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी राजेन्द्र उर्फ राजू नायक ने थाना निवाड़ी आकर लिखित रिपोर्ट की थी कि वह सुनील वंशकार के साथ रेत खदान बांसवान तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ में पार्टनर है। घटना दिनांक 20.07.2005 को सुबह 10:00 बजे के लगभग बांसवान स्थित रेत खदान पर घाट पर मोटर की सीमा में अपने साथियों व पार्टनरों संजय राय, सोनू जैन, कैलाश तिवारी एवं घाट पर कार्यरत कर्मचारियों कमलेश, सुरेन्द्र राय, सोनू तिवारी, राजेन्द्र राय, कल्लू रजक के साथ खाना खा रहे थे तभी आरोपीगण रमेश, हेमराज, धर्मन्द्र खंगार, मुलायम सिंह यादव, अतर सिंह यादव, मान सिंह यादव, सुरेन्द्र यादव, शेरु यादव, चन्द्रशेखर शुक्ला, अवधेश उर्फ प्रमू तिवारी, संतराम उर्फ संतू पाल एकराय होकर हथियारों से लेश होकर घटनास्थल ग्राम बांसवान स्थित रेत खदान पर आए और बोले कि मादरचोद खदान चलाना है तो पचास हजार रुपया महीना देना पड़ेगा नहीं तो ठेका नहीं चल पायेगा तथा गालियां देने लगे और धमकियां देने लगे, तब फरियादी ने कहा कि कोई चोरी का काम नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हें पचास हजार रुपया दूँ फरियादी के इतना कहने पर रमेश खंगार ने अपने हाथ में ली हुई राईफल से फायर कर दिया जो उसके कंधे के पास से निकल गया। फरियादी लेट गया और बचाव करने लगा तब रमेश खंगार एवं उसके साथियों ने अवैध हथियार एवं कट्टा से उसके उपर और उसके साथियों के उपर फायर करना शुरू कर दिया। फरियादी और उनके साथी दौड़कर भागे और

11.8.15  
सुरेन्द्र सिंह  
अधीन निवाड़ी थाना

जान बचाई, मौके पर मोटो की सीमा में रखी. उनकी महिन्द्रा जीप नंबर एम.पी. 15 ए 0648 एवं डोण्डा पेशन मोटरसाईकिल और वजाज कैलेवर मोटरसाईकिल को पत्थर, खण्डा आदि से दुरी तरह कुचलकर क्षतिग्रस्त कर दिया।

03/ फरियादी की लिखित रिपोर्ट पर थाना निवाड़ी के अपराध क्रमांक 151/05 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। विवेचना के अनुक्रम में घटना स्थल पर जाकर फरियादी के बताये अनुसार घटना स्थल पर नक्शामौका तैयार किया गया, घटना से संबंधित साक्षीगण राजेन्द्र सोनू, कैलाश नारायण, संजय, सुरेन्द्र राय, राजेन्द्र पुत्र प्रेमनाथ राय, कमलेश, कल्लू रजक, सोनू तिवारी और सुनील के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किये गये, अभियुक्तगण को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया, मकान तलासी ली गई, घटनास्थल से उक्त जीप एवं क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल जप्त कर जप्तीपत्रक तैयार किया गया। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात आरोपीगण के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

04/ अभियुक्तगण को निर्णय के पैस एक में वर्णित आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने अपराध घटित किया जाना अस्वीकार किया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षण किये जाने पर अभियोजन साक्षियों के कथनों को अस्वीकार किया तथा व्यक्त किया कि वह निर्दोष हैं, उन्हें इस केश में झूठा फसाया गया है अभियुक्त मान सिंह का कहना है कि साक्षी कैलाश तिवारी के रिपोर्ट कर्ता राजेन्द्र नायक रिश्तेदार हैं, कैलाश तिवारी से उसकी रंजिश चली आ रही है उसने पूर्व में अपने भाई मनीष तिवारी की हत्या के केस में झूठा फसाया गया था तथा इस केस में भी रंजिश झूठा फसाया गया है परंतु बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ।

05/ प्रकरण के निराकरण के लिए न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

"क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 20.07.2005 को दिन में करीब 10:00 बजे ग्राम-बासवान बरुआनाला थाना निवाड़ी क्षेत्रांतर्गत विधि विरुद्ध जमाव गठित किया जिसका सामान्य उद्देश्य फरियादी राजेन्द्र नायक, कैलाश तिवारी एवं अन्य लोगों का मानव जीवन संकटापन्न करना एवं मोटरसाईकिल और जीप को क्षतिग्रस्त कर रिष्टी कारित करना व अन्य अपराध करना था तथा उक्त जमाव के सदस्य होते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में -

- 1-बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया ?
- 2-घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया ?
- 3-उसी समय उपेक्षा या उतावलेपन से राईफल, कट्टा से फायर करके मानव जीवन या वैयक्तिक क्षम संकटापन्न किया ?
- 4-मोटरसाईकिले एव जीप तोड़कर रिष्टी कारित की ?

अरविन्द सिंह  
अधिक महिन्द्रा प्रथम श्रेणी  
क.प्र. विभा. श्रीवन्मठ (म.प्र.)

साक्षारण विवेचना एवं निष्कर्ष :-

06/ उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का एक ही घटना से संबंधित होने के कारण, साक्ष्य के दौहराव से बचने के लिये एवं साक्ष्य विवेचन में सुविधा की दृष्टि से सभी प्रश्नों को एक साथ लिया जा रहा है।

07/ अभियोजनपक्ष की ओर से मामले के समर्थन में लखनलाल चौबे (अ0सा0-1), कमलेश रजक (अ0सा0-2), सुरेन्द्र राय (अ0सा0-3), संजय राय (अ0सा0-4), वैजनाथ सिंह (अ0सा0-5), रोशन जैन उर्फ सोनू (अ0सा0-6), राजेन्द्र नायक (अ0सा0-7), कैलाश तिवारी (अ0सा0-8) को परीक्षित कराया गया। बचावपक्ष की ओर से कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है।


08/ फरियादी राजेन्द्र नायक उर्फ राजू अ0सा0 7 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि वह आरोपीगण चन्द्रशेखर शुक्ला, पप्पू उर्फ अवधेश, रमेश खंगार, अतर सिंह, संतराम, मानसिंह, शेरसिंह और सुरेन्द्र सिंह को जानता है इस साक्षी ने पहले व्यक्त किया कि वह आरोपीगण धर्मेन्द्र खंगार और हेमराज को नहीं जानता है परंतु इस साक्षी ने अपने परीक्षण के पैरा 4 में यह व्यक्त किया कि आरोपी हेमराज एवं धर्मेन्द्र खंगार मौके पर मौजूद थे लेकिन वे लोग पीछे की तरफ थे और उन्होंने पीछे से फायरिंग की थी तथा वह इन आरोपीगण को भी जानता है। इस साक्षी के उक्त कथनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त साक्षी जो इस प्रकरण में फरियादी हैं उक्त सभी दसों आरोपीगणों को पहचानता है। इस साक्षी ने आगे व्यक्त किया कि घटना वर्ष 2005 की गर्मियों के समय की सुबह 10:00 बजे की है इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 06 में भी यह बताया है कि घटना दिनांक 20.07.2005 की बुधवार दिन की है।

09/ फरियादी राजेन्द्र नायक अ0सा0 7 का कहना है कि घटना ग्राम बासवान में रेत खदान के पास की है उस समय वह बासवान में रेत खदान पर बैठा था उसके साथ कैलाश तिवारी, सोनू तिवारी, सुनील बंशकार आदि लोग बैठे थे। रेत खदान का ठेका सुनील बंशकार के नाम से था जिसमें वह, कैलाश तिवारी, सोनू तिवारी तथा दो कर्मचारी और थे यह लोग भी पार्टनर थे। सुबह दस बजे वे लोग खाना खा रहे थे तभी रमेश खंगार, पप्पू उर्फ अवधेश, चन्द्रशेखर शुक्ला, मानसिंह, शेरसिंह, अतर सिंह, मुलायम यादव एवं संतराम वहां आ गए तथा उक्त आरोपीगण बोले की यहाँ हमारा राज्य चलता है और हमारे बिना तुम रेत का ठेका नहीं चला पाओगे तथा या तो रेत खदान के ठेका में उन्हें पार्टनर बनाओ या पचास हजार रुपया महीना दो, इस बात पर फरियादी राजेन्द्र तथा उसके साथ वालों ने आरोपीगण से कहा कि वह रुपया नहीं देंगे और न ही पार्टनर बनायेंगे। इसी बात पर आरोपीगण मादरचोद की गालियाँ देने लगे और बोले की यहाँ रहने नहीं देंगे एवं उसी समय आरोपी रमेश खंगार, पप्पू उर्फ अवधेश, चन्द्रशेखर शुक्ला, शेर सिंह, मुलायम सिंह, मानसिंह, अतर सिंह और संतराम ये सभी लोग राईफल, 315 बोर की दुनाली तथा एक नाली बंदूक लिए हुए थे तथा उनके साथ जो लोग पीछे थे उनके हाथ में कौन से हथियार थे वह देख नहीं पाया लेकिन उन सभी लोगों ने फाईरिंग शुरू कर दी। मौके पर रखी हुई जीप और तीन मोटरसाईकिलों में गालियाँ लगी थीं। फिर फरियादी और उसके साथ के लोग पीछे की तरफ भागे थे उनके पीछे भी आरोपीगण ने फाईरिंग की थी इससे वे लोग दौड़े थे इसके बाद मौके पर रखी हुई जीप एवं मोटरसाईकिलें आरोपीगण उठा ले गए थे और उनमें तोड़-फोड़ की और

11.8.15

अरविन्द सिंह

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी



पत्थरों से कुचला और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद फरियादी और उसके साथ के लोग निवाड़ी थाने में आए और फरियादी राजेन्द्र ने लिखित रिपोर्ट की थी उसके द्वारा की गई लिखित रिपोर्ट प्र.पी. 01 है जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

10/ अभियोजन के अन्य साक्षी कैलाश तिवारी अ0सा0 8 ने भी फरियादी का समर्थन करते हुए अपने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि वह आरोपी मुलायम सिंह यादव, अतर सिंह यादव, मान सिंह यादव, सुरेन्द्र सिंह यादव, शेरू यादव को जानता है तथा शेष आरोपीगण को शकल से नहीं जानता है लेकिन सामने आने पर पहचान लेगा। घटना दिनांक को वह बासवान घाट पर रेत खदान में पार्टनर था ठेका सुनील वंशकार के नाम पर था घटना के समय रेत खदान पर राजेन्द्र नायक, संजय राय, कमलेश कुम्हार, सुरेन्द्र राय, सोनू तिवारी, कस्तू रजक, सोनू जैन और अन्य लोग थे वे सभी लोग खदान पर मौजूद थे कुछ लोग खाना खा रहे थे और कुछ बैठे थे रेत खदान पर सात-आठ लोग बन्दूक, कदटा व रिवाल्वर लेकर आए तथा जो लोग हथियार-लेकर आए उसमें अतर सिंह, मुलायम सिंह, सुरेन्द्र यादव, शेरू यादव, मानसिंह तथा संतराम पाल तथा इनके साथ चार-पांच लोग और थे तथा उपरोक्त लोगों ने आकर कहा कि रेत खदान का ठेका चलाना है तो पचास हजार रुपये का महिना दो नहीं तो ठेका नहीं चलने देंगे एवं कदटा, बंदूकों से फायर किया तथा मौके पर बॉबी अग्रवाल की मोटरसाईकिल रखी थी तथा एक मोटरसाईकिल भरत कौशिक की थी जिसे वह लेकर गया था आरोपीगण ने सरिया, पत्थर, खंडा पटक कर दोनों मोटरसाईकिलों को क्षतिग्रस्त कर दिया था तथा सोनू जैन की मौके पर ही जीप भी थी वह भी आरोपीगणों ने क्षतिग्रस्त कर दी थी दोनों मोटरसाईकिलों की रिपेयरिंग में लगभग 35,000/- रुपये लगे थे तथा जीप में भी नुकसान हुआ था।

11/ इस साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण रमेश खंगार, हेमराज, धर्मेन्द्र, चन्द्रशेखर शुक्ला, अवधेश तिवारी को देखकर बताया कि ये लोग घटना के समय मौजूद नहीं थे। इस साक्षी ने न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी इस बात से इंकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन प्र.पी. 11 में यह नहीं बताया था कि आरोपीगण के साथ में रमेश खंगार, हेमराज, धर्मेन्द्र, चन्द्रशेखर शुक्ला तथा अवधेश तिवारी भी आए थे एवं उन्होंने भी पचास हजार रुपयों की मांग की थी और फायर किए थे एवं गाड़ियों की तोड़फोड़ की थी। इस साक्षी को सुझाव दिए जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि ऐसा नहीं है कि उक्त पांचों आरोपीगण से उसने न्यायालय के बाहर राजीनामा कर लिया है इसलिए वह सही बात नहीं बता रहा है। इस साक्षी ने अभियोजन प्रकरण का पूर्णतः समर्थन किया है तथा केवल पांच आरोपीगण रमेश खंगार, हेमराज, धर्मेन्द्र, चन्द्रशेखर शुक्ला तथा अवधेश तिवारी का घटनास्थल पर उपस्थित होने से इंकार किया है। परंतु इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में पैरा तीन में यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर और क्या हुआ था उसे आज याद नहीं है क्योंकि घटना को काफी समय हो गया है। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि घटना दिनांक 20.07.05 की है एवं इस साक्षी के कथन न्यायालय में दिनांक 07.09.2013 को अर्थात् घटना के करीब आठ साल बाद हुए हैं तथा इतने दिनों बाद वह घटना में शामिल सभी आरोपीगणों को नहीं पहचान पाया तो यह कोई अचरज की बात नहीं है। साथ ही यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस साक्षी ने आरोपीगण अतर सिंह,

अरवि सिंह

अधिका मंडिराट प्रथम अंश  
मंडिराट प्रथम अंश


मुलायम सिंह, सुरेन्द्र सिंह, शेरू, संतराम के साथ चार-पांच लोगों का और होना बताया है अतः इसके कथनों से यह स्पष्ट होता है कि आरोपीगण करीब दस-बारह लोग थे। साथ ही फरियादी राजेन्द्र नायक अ०सा० 07 स्पष्ट रूप से सभी आरोपीगण की पहचान की है ऐसी स्थिति में साक्षी कैलाश तिवारी अ०सा० 8 द्वारा कुछ आरोपीगण को न पहचानने से यह नहीं माना जा सकता कि आरोपीगण रमेश, धर्मेन्द्र, हेमराज, चन्द्रशेखर, अवधेश घटना में शामिल नहीं थे।

12/ अभियोजन के अन्य साक्षी प्रधान आरक्षक लखनलाल चौबे अ०सा० 1 ने अपने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि वह दिनांक 20.07.2005 में थाना निवाड़ी में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को फरियादी राजेन्द्र नायक उर्फ राजू पुत्र रामलखन नायक ने थाना आकर एक लिखित आवेदन थाना प्रभारी के नाम से पेश किया था जो प्र.पी. 01 है उक्त लिखित आवेदन के आधार पर उसने थाना निवाड़ी के अपराध क्रमांक 151/05 पर अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 336, 427, 506 के अन्तर्गत अपराध की कायमी आरोपीगण के विरुद्ध की थी। उसके द्वारा की गई कार्या रिपोर्ट प्र.पी. 02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि फरियादी ने जो आवेदन दिया था वह थाना प्रभारी के नाम से था तथा थाना प्रभारी ने कायमी करने के संबंध में उक्त आवेदन मार्क नहीं किया था परंतु इस साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने गलत अपराध की कायमी बिना किसी कारण के की है। यह साक्षी एक शासकीय सेवक है तथा उसने बताया है कि वह प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था ऐसी स्थिति में यह माना जायेगा कि वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था तथा उसके द्वारा लेख की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 02 विधि अनुसार लेख की गई थी। अतः इस साक्षी के कथनों से एवं फरियादी द्वारा थाने में घटना के संबंध में घटना के तुरंत बाद लिखित आवेदन दिया जाना एवं उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम होने से अभियोजन प्रकरण का समर्थन हो रहा है।

13/ विवेचक बैजनाथ सिंह अ०सा० 5 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि वह दिनांक 20.07.2005 को थाना निवाड़ी में पदस्थ था। थाना प्रभारी निवाड़ी द्वारा उसे अपराध क्रमांक 151/05 की केश/झायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी विवेचना के दौरान घटनास्थल पर गया था और फरियादी राजेन्द्र नायक की निशानदेही पर घटनास्थल का मानचित्र मौके पर उसके द्वारा बनाया गया था जो प्र.पी. 06 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादी राजेन्द्र नायक अ०सा० 7 एवं कैलाश तिवारी अ०सा० 8 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में बताया है कि पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शामौका बनाया था जिनके क्रमशः बी से बी और सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार उक्त साक्षियों के कथनों से घटनास्थल प्रमाणित हो रहा है तथा अभियोजन प्रकरण का समर्थन हो रहा है।

14/ विवेचक बैजनाथ सिंह अ०सा० 5 ने अपने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि उसने घटनास्थल पोहा घाट से साक्षी सोनू तिवारी एवं अनिल के समक्ष एक जीप महिन्द्रा क्रमांक एम.पी. 15 ए 0648, एक मोटरसाईकिल हिरोहोण्डा पेशन जिसका चैचिस नम्बर 0262/ई11628, एक बजाज केलिबर मोटरसाईकिल जिस पर प्लेट नंबर आर.जे. 011/एम 2094 था, जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था जो प्र.पी. 7 है जिस पर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं उक्त जप्ती पंचनामा प्र.पी. 7 के संबंध में इस साक्षी के कथनों को अभियुक्तगण की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है इसलिए इस

सुरेन्द्र सिंह  
अभियुक्तगण के प्रतिपरीक्षण में  
साक्षी के कथनों को



मुलायम सिंह, सुरेन्द्र सिंह, शेरू, संतराम के साथ चार-पांच लोगों को और हॉन्ग बताया है अतः इसके कथनों से यह स्पष्ट होता है कि आरोपीगण करीब दस-बारह लोग थे। साथ ही फरियादी राजेन्द्र नायक अ०सा० 07 स्पष्ट रूप से सभी आरोपीगण की पहचान की है ऐसी स्थिति में साक्षी कैलाश तिवारी अ०सा० 8 द्वारा कुछ आरोपीगण को न पहचानने से यह नहीं माना जा सकता कि आरोपीगण रमेश, धर्मेन्द्र, हेमराज, चन्द्रशेखर, अवधेश घटना में शामिल नहीं थे।

12/ अभियोजन के अन्य साक्षी प्रधान आरक्षक लखनलाल चौबे अ०सा० 1 ने अपने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि वह दिनांक 20.07.2005 में थाना निवाड़ी में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को फरियादी राजेन्द्र नायक उर्फ राजू पुत्र रामलखन नायक ने थाना आकर एक लिखित आवेदन थाना प्रमारी के नाम से पेश किया था जो प्र.पी. 01 है उक्त लिखित आवेदन के आधार पर उसने थाना निवाड़ी के अपराध क्रमांक 151/05 पर अतर्गत धारा 147, 148, 149, 336, 427, 506 के अन्तर्गत अर्थात् अशान्ति के अन्तर्गत आरोपीगण के विरुद्ध की थी। उसके द्वारा की गई कार्यावधि रिपोर्ट प्र.पी. 02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि फरियादी ने जो आवेदन दिया था वह थाना प्रमारी के नाम से था तथा थाना प्रमारी ने कार्यावधि करने के संबंध में उक्त आवेदन मार्क नहीं किया था परंतु इस साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने गलत अपराध की कार्यावधि बिना किसी कारण के की है। यह साक्षी एक शासकीय सेवक है तथा उसने बताया है कि वह प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था ऐसी स्थिति में यह माना जायेगा कि वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था तथा उसके द्वारा लेख की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 02 विधि अनुसार लेख की गई थी। अतः इस साक्षी के कथनों से एवं फरियादी द्वारा थाने में घटना के संबंध में घटना के तुरंत बाद लिखित आवेदन दिया जाना एवं उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कार्यावधि होने से अभियोजन प्रकरण का समर्थन हो रहा है।

13/ विवेचक बैजनाथ सिंह अ०सा० 5 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि वह दिनांक 20.07.2005 को थाना निवाड़ी में पदस्थ था। थाना प्रमारी निवाड़ी द्वारा उसे अपराध क्रमांक 151/05 की क्लेश डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी विवेचना के दौरान घटनास्थल पर गया था और फरियादी राजेन्द्र नायक की निशानदेही पर घटनास्थल का मानचित्र मौके पर उसके द्वारा बनाया गया था जो प्र.पी. 06 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादी राजेन्द्र नायक अ०सा० 7 एवं कैलाश तिवारी अ०सा० 8 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में बताया है कि पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शामौका बनाया था जिनके क्रमशः बी से बी और सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार उक्त साक्षियों के कथनों से घटनास्थल प्रमाणित हो रहा है तथा अभियोजन प्रकरण का समर्थन हो रहा है।

14/ विवेचक बैजनाथ सिंह अ०सा० 5 ने अपने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि उसने घटनास्थल पोहा घाट से साक्षी सोनू तिवारी एवं अनिल के समक्ष एक जीप महिन्द्रा क्रमांक एम.पी. 15 ए 0648, एक मोटरसाईकिल हिरोहोण्डा पेशन जिसका चैचिस नम्बर 0262/ई11628, एक बजाज कोलिवर मोटरसाईकिल जिस पर प्लेट नंबर आरजे. 011/एम 2094 था, जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था जो प्र.पी. 7 है जिस पर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं उक्त जप्ती पंचनामा प्र.पी. 7 के संबंध में इस साक्षी के कथनों को अभियुक्तगण की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है इसलिए इस

21.8.15  
 सुरेन्द्र सिंह  
 न्यायिक निरीक्षक प्रथम श्रेणी  
 जिला न्यायालय, जहानाबाद

(168)


पत्थरों से कुचला और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद फरियादी और उसके साथ के लोग निवाड़ी थाने में आए और फरियादी राजेन्द्र ने लिखित रिपोर्ट की थी उसके द्वारा की गई लिखित रिपोर्ट प्र.पी. 01 है जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

10/ अभियोजन के अन्य साक्षी कलशा तिवारी अ०सा० 8 ने भी फरियादी को समर्थन करते हुए अपने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि वह आरोपी मुलायम सिंह यादव, अतर सिंह यादव, मान सिंह यादव, सुरेन्द्र सिंह यादव, शेरू यादव को जानता है तथा शेष आरोपीगण को शकल से नहीं जानता है लेकिन सामने आने पर पहचान लेगा। घटना दिनांक को वह बासवान घाट पर रेत खदान में पाटनर था ठेका सुनील वशकार के नाम पर था घटना के समय रेत खदान पर राजेन्द्र नायक, संजय राय, कमलेश कुम्हार, सुरेन्द्र राय, सोनू तिवारी, कल्लू रजक, सोनू जैन और अन्य लोग थे वे सभी लोग खदान पर मौजूद थे कुछ लोग खाना खा रहे थे और कुछ बिठे थे रेत खदान पर सात-आठ लोग बन्दूक, कट्टा व रिवास्वर लेकर आए तथा जो लोग हथियार लेकर आए उसमें अतर सिंह, मुलायम सिंह, सुरेन्द्र यादव, शेरू यादव, मानसिंह तथा संतराम पाल तथा इनके साथ चार-पांच लोग और थे तथा उपरोक्त लोगों ने आकर कहा कि रेत खदान का ठेका चलाना है तो पचास हजार रुपये का महिना दो नहीं तो ठेका नहीं चलने देंगे एवं कट्टा, बंदूकों से फायर किया तथा सौके पर बाँबी अग्रवाल की मोटरसाइकिल सूत्री थी तथा एक मोटरसाइकिल भरत कौशिक की थी जिसे वह लेकर गया था आरोपीगण ने सरिया, पत्थर, खंडा पटक कर दोनों मोटरसाइकिलों को क्षतिग्रस्त कर दिया था तथा सोनू जैन की सौके पर ही जीप भी थी वह भी आरोपीगणों ने क्षतिग्रस्त कर दी थी दोनों मोटरसाइकिलों की रिपेयरिंग में लगभग 35,000/- रुपये लगे थे तथा जीप में भी नुकसान हुआ था।

11/ इस साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण रमेश खंगार, हेमराज, धर्मेन्द्र, चन्द्रशेखर शुक्ला, अवधेश तिवारी को देखकर बताया कि ये लोग घटना के समय मौजूद नहीं थे। इस साक्षी ने न्यायालय द्वारा सूत्रक प्रश्न पूछे जाने पर भी इस बात से इंकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन प्र.पी. 11 में यह नहीं बताया था कि आरोपीगण के साथ में रमेश खंगार, हेमराज, धर्मेन्द्र, चन्द्रशेखर शुक्ला तथा अवधेश तिवारी भी आए थे एवं उन्होंने भी पचास हजार रूपयों की मांग की थी और फायर किए थे एवं गाड़ियों की तोड़फोड़ की थी। इस साक्षी को सुझाव दिए जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि ऐसा नहीं है कि उक्त पांचों आरोपीगण से उसने न्यायालय के बाहर राजीनामा कर लिया है इसलिए वह सही बात नहीं बता रहा है। इस साक्षी ने अभियोजन प्रकरण का पूर्णतः समर्थन किया है तथा केवल पांच आरोपीगण रमेश खंगार, हेमराज, धर्मेन्द्र, चन्द्रशेखर शुक्ला तथा अवधेश तिवारी का घटनास्थल पर उपस्थित होने से इंकार किया है। परंतु इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में पैरा तीन में यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर और क्या हुआ था उसे आज याद नहीं है क्योंकि घटना को काफी समय हो गया है। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि घटना दिनांक 20.07.05 की है एवं इस साक्षी के कथन न्यायालय में दिनांक 07.09.2013 को अर्थात् घटना के करीब आठ साल बाद हुए हैं तथा इतने दिनों बाद वह घटना में शामिल सभी आरोपीगणों को नहीं पहचान पाया तो यह कोई अंचरज की बात नहीं है। साथ ही यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस साक्षी ने आरोपीगण अतर सिंह,

*[Signature]*  
अतर सिंह  
अधिका मंडिराट प्रथम अंश  
... ..





न ही जिसके नाम लीज बताई जा रही है उस साक्षी सुनील बंशकार को अरिक्षित कराया गया है, साक्षी राजेन्द्र नायक ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी स्वीकार किया है कि रेत खदान किस सर्वे नंबर पर है वह नहीं बता सकता एवं ठेके की अवधि कब से कब तक की थी वह नहीं बता सकता इसलिए उक्त खदान और घटनास्थल ही प्रमाणित नहीं हो रहा है, लेकिन उक्त साक्षी ने यह बताया है कि ठेके का रकवा 5 ऐकड़ था तथा घटना को करीब 5-6 साल हो गये है इसलिए उसे मौखिक रूप से उक्त चीजे याद नहीं है। उक्त साक्षी का स्पष्टीकरण उचित है। साथ ही यहां यह ध्यान देने योग्य है कि घटनास्थल पर जो विवाद हुआ वह रेत खदान की लीज के संबंध में नहीं है बल्कि आरोपीगण द्वारा घटनास्थल पर आकर विधि विरुद्ध जमाव गठित कर फायर करना एवं रिष्टी कारित करने का है। जिसके संबंध में स्पष्ट साक्ष्य अभिलेख पर विद्यमान हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में मात्र रेत खदान की लीज प्रस्तुत न होने से अभियोजन प्रकरण संदिग्ध नहीं माना जा सकता। अतः बचाव पक्ष के अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

19/ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता आर0बी0 खरे का तर्क है कि साक्षी राजेन्द्र नायक ने बताया है कि वह पार्टनर है किन्तु इसके संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं है उक्त तर्क के परिपेक्ष्य में यह ध्यान देने योग्य है राजेन्द्र नायक अ.सा.7 ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया है कि रेत खदान का ठेका सुनील बंशकार के नाम था जिसमें वह एवं कैलाश तिवारी पार्टनर थे तथा यहाँ पर विवाद पार्टनर होने का नहीं है इसलिए उक्त संबंध में कोई दस्तावेज न पेश किये जाने का विपरीत प्रभाव अभियोजन प्रकरण पर नहीं पड़ेगा इसलिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

20/ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मोटरसाईकिल व जीप के मालिकों का परीक्षण नहीं हुआ है इसलिए किसे रिष्टी कारित हुई यह स्पष्ट नहीं हो रहा है परन्तु यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि रिष्टी के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट सम्पत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे, यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह यह सम्भाव्य जानता है कि वह किसी सम्पत्ति की क्षति करके किसी व्यक्ति को चाहे, वह सम्पत्ति किसी व्यक्ति की हो या नहीं, सदोष हानि या नुकसान कारित करे। इस प्रकरण में आरोपीगण द्वारा मोटरसाईकिल एवं जीप में जानबूझ कर तोड़फोड़ कर रिष्टी कारित की गई है। अतः उक्त तर्क स्वीकार योग्य न होने से अस्वीकार किया जाता है।

21/ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता आर0बी0 खरे का तर्क है कि साक्षियों द्वारा यह नहीं बताया गया है कि कौन सा आरोपी कौन सा हथियार लिये था या रेत खदान चलाने से किसने रोका और किसने घमकी दी यह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में साक्षी कैलाश अ.सा.-8 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अतरसिंह के हाथ में छोटी बंदूक थी, सुरेन्द्र के हाथ में पत्थर एवं शेरू यादव के पास भी कट्टा था एवं दो अज्ञात लोगों के हाथ में बड़ी बंदूकें थी तथा शेष उसे ध्यान नहीं है तथा सभी लोगो ने सामुहिक रूप से पैसे मांगे थे तथा किसी व्यक्ति विशेष को सम्बोधित करते हुए पैसे नहीं मांगे थे। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जब किसी व्यक्ति पर 10-12 लोग मिलकर कट्टा बंदूको से फायर करेगे तथा किसी व्यक्ति को

*[Signature]*  
11.8.15

अरविन्द सिंह  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

साक्षी के उक्त कथन पूर्णतः अखण्डनीय हैं और विश्वसनीय हैं तथा जप्ती पंचनामा प्रपी. 07 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि घटनास्थल से जप्त की गई मोटर साईकिलें और जीप क्षतिग्रस्त हालत में थी तथा जीप में टूट-फूट होकर करीब दस हजार का नुकसान एवं हीरो होम्डा पेशन मोटरसाईकिल में करीब पच्चीस हजार का नुकसान एवं बजाज कैलिवर मोटरसाईकिल में करीब पन्द्रह हजार का नुकसान हुआ था। फरियादी राजेन्द्र नायक अ०सा० 07 एवं कैलाश तिवारी अ०सा० 8 ने भी अपने कथनों में उक्त मोटरसाईकिल और जीप को आरोपीगण द्वारा क्षतिग्रस्त करना बताया है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक को घटनास्थल पर मोटरसाईकिलों और जीप में तोड़-फोड़ कर उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया था।

15/ विवेचक बैजनाथ सिंह अ०सा० 5 ने अपने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया उसने आरोपी रमेश, हेमराज, धर्मेन्द्र, संतराम, अतर सिंह, मुलायम सिंह, सुरेन्द्र सिंह, शेर सिंह, मान सिंह, चन्द्रशेखर, पप्पू उर्फ अक्वेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया था जो प्रपी. 8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त गिरफ्तारी पंचनामा चुनौती के अभाव में पूर्णतः विश्वसनीय है जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता है कि प्रकरण में आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने अपने कथनों में व्यक्त किया कि उसने राजेन्द्र, सोनू, कैलाश नारायण, संजय, सुरेन्द्र राय, राजेन्द्र पुत्र प्रेमनारायण राय, कमलेश, कल्लू रजक, सोनू तिवारी और सुनील के कथन उनके बताए अनुसार लेख किए थे। इस साक्षी का कहना है कि उसने आरोपी हेमराज, रमेश, धर्मेन्द्र, मुलायम सिंह, अतर सिंह, सुरेन्द्र सिंह के मकान की तलाशी लेकर तलाशी पंचनामा बनाए थे जो प्रपी. 8, 9 हैं जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त तलाशी पंचनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि उक्त तलाशी बेसुद रही थी, परंतु आरोपीगण के घर से घटना में प्रयुक्त हथियार बंदूक, कट्टा आदि जप्त न होने मात्र से अभियोजन प्रकरण में कोई संदेह नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह सामान्य सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध हथियारों को यदि किसी घटना में प्रयोग करेगा तो वह उन हथियारों को अपने घर में नहीं रखेगा।

16/ बचाव पक्ष का तर्क है कि आरोपीगण ने कोई घटना कारित नहीं की है और न ही किन्हीं अवैध हथियारों का प्रयोग किया है इसीलिए प्रकरण में आरोपीगण से कोई भी हथियार आदि जप्त नहीं हुए हैं, परंतु यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त हथियार पुलिस द्वारा जप्त न कर पाना यह विवेचना में कमी हो सकती है परंतु विवेचना में रह गई कमी का लाभ अभियुक्तगणों को प्रदान नहीं किया जा सकता।

17/ अभियोजन के अन्य साक्षी कमलेश अ०सा० 2, सुरेन्द्र कुमार अ०सा० 3, संजय राय अ०सा० 4, रोशन जैन उर्फ सोनू अ०सा० 6 ने अपने न्यायालयीन कथनों में आरोपीगण को नहीं पहचाना है और न ही घटना उनके सामने होना बताई है तथा न ही अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षियों ने अभियोजन प्रकरण का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अतः उक्त साक्षियों के कथनों का अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

18/ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता आर०बी० खरे का तर्क है कि घटना कहाँ पर हुई एवं वास्तव में कौन सी रेत खदान और वह किसके नाम पर थी इसके संबंध में अभियोजन की ओर से न तो उक्त रेत खदान की लीज प्रकरण में पेश की गई है और

4.15 नॉटरी प्रथम अंजी  
सं. 15/2006  
15.11.2006

मय कारित होगा तब ऐसी स्थिति में वह घटना का ज्यों का त्यों वृत्तान्त बता सके ऐसी उम्मीद उससे नहीं की जा सकती साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि घटना होने के कई साल बाद साक्षी के कथन न्यायालय में हुये हैं इसलिए उससे ज्यों के त्यों घटना का वृत्तान्त बताये जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क मान्य योग्य नहीं है।

22/ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता आर०आर०साहू का तर्क है कि सन 1992 में साक्षी कैलाश तिवारी के भाई मनीष तिवारी का मर्डर हुआ था जिसमें अतर सिंह, मुलायम सिंह, सुरेन्द्र, मानसिंह आदि लोग मुल्जिम थे तथा वरी हो गये थे। उक्त प्रकरण में पैरवी चन्द्रशेखर शुक्ला अधिवक्ता ने की थी इसलिए उक्त रंजिश के परिणाम स्वरूप यह झूठा केस आरोपीगण पर बनवाया गया है। साक्षी कैलाश तिवारी अ.सा.8 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 18 में यह स्वीकार किया है कि उसके भाई की हत्या का मामला उक्त आरोपीगण के खिलाफ एवं वर्तमान आरोपी अतरसिंह और मुलायम सिंह वही लोग है एवं आरोपीगण शेरसिंह, मानसिंह, व सुरेन्द्र सिंह आरोपी अतर सिंह के सगे भाई है। इस साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण अतर बगैरह से उसके भाई मनीष तिवारी की हत्या की बाद से रंजिश से रखता है। साक्षी ने स्वतः का कि इन लोगों ने उसके भाई मनीष की हत्या नहीं की थी इसलिए उसने उनके खिलाफ गवाही नहीं दी थी इसलिए वह वरी भी हो गये थे। उक्त स्थिति में जब इस साक्षी ने उक्त मनीष तिवारी की हत्या वाले प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध गवाही तक नहीं दी तब वह उनसे रंजिश रखता हो यह नहीं माना जा सकता। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि वह प्रकरण सन् 1992 का बताया गया है तथा यह कहना सन 2005 की अर्थात् करीब 13 साल बाद की है ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि आरोपीगण को रंजिश इस मामले में झूठा फसाया होगा। अतः उक्त तर्क मान्य योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

23/ अभियोजन के साक्षी फरियादी राजेन्द्र नायक अ०सा०-7 एवं कैलाश तिवारी अ०सा०-8 ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन प्रकरण का पूर्णतः समर्थन किया है। तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखन लखनलाल चौबे अ०सा०-1 एवं विवेचक बैजनाथ सिंह अ०सा०-5 के कथनों से भी अभियोजन प्रकरण का पूर्णतः समर्थन हो रहा है। उक्त साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई तात्त्विक विरोधाभास प्रकट नहीं हुए हैं जिनसे उनपर कोई युक्तियुक्त सन्देह उत्पन्न होता हो। अतः उक्त साक्षी पूर्णतः विश्वनीय हैं। यद्यपि अभियोजन के अन्य साक्षियों ने अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया है परन्तु प्रकरण की गम्भीर परिस्थितियों एवं आरोपीगण के कृत्य को देखते हुए इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभियोजन साक्षियों ने दबाव वंश या बुराई के डर से न्यायालय में सत्य कथन न दिये हो।

24/ अतः ऐसी स्थिति में सभी साक्षियों द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन न किये जाने के बावजूद भी अभिलेख पर आई उक्त साक्ष्य के विवेचन के परिणाम स्वरूप यह युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपीगण चन्द्रशेखर शुक्ला प्रमू उर्फ अवधेश तिवारी, रमेश खंगार, हेमराज खंगार, धर्मेन्द्र खंगार, अतरसिंह यादव, संतु उर्फ संतराम पाल, सुरेन्द्र, शेर सिंह यादव, मानसिंह यादव, मुलायम यादव ने घटना दिनांक 20.7.05 को दिन के करीब 10 बजे घटना स्थल बरुआ नाला ग्राम वासवान में मोहा रेत घाट पर अन्तर्गत थाना निवाड़ी में विधि विरुद्ध ज़माव गठित

11.5.16

अरविन्द सिंह

अधिवक्ता राजेश्वर प्रथम श्रेणी  
विशेषी किशम दीपकगढ़ (म.प्र.)

किया जिसका सामान्य उद्देश्य फरियादी राजेन्द्र नायक, कैलाश तिवारी एवं अन्य लोगों का मानव जीवन संकटापन्न करना एवं मोटरसाइकिलों और जीप को क्षतिग्रस्त कर रिष्टी कारित करना तथा अन्य अपराध करना था तथा उक्त जमाव के सदस्य होते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक आयुध राइफल, कटटा, बंदूकों आदि से सुसज्जित होते हुए विधि विरुद्ध जमाव में भाग लेकर बल या हिंसा का प्रयोग करके बलवा कारित किया एवं उसी समय उपेक्षा या उतावलेपन से राइफल कटटा से फायर करके मानव जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया एवं मोटरसाइकिलें एवं जीप तोड़कर रिष्टी कारित की। आरोपी मुलायम सिंह यादव फरार है। अतः शेष आरोपीगण चन्द्रशेखर शुक्ला, पप्पू उर्फ अवधेश तिवारी, रमेश खंगार, हेमराज खंगार, धर्मेन्द्र खंगार, अतरसिंह यादव, संतु उर्फ संतराम पाल, सुरेन्द्र सिंह, शेर सिंह यादव, मानसिंह यादव को भा०द०सं० की धारा 147, 148, 336, 427 के आरोपों में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध किया जाता है। आरोपीगण के जमानत मुचलकों निरस्त कर उनके अभिरक्षा में लिया जाता है।

25/ आरोपीगण के अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सिद्धदोष आरोपीगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। आरोपीगण को दंड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

पुनश्च:-

28/ आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को दंड के प्रश्न पर सुना गया उन्होंने व्यक्त किया कि आरोपीगण का यह पहला अपराध है तथा वह विगत आठ वर्षों से विचारण का सामना कर रहे हैं तथा न्यायालय में लगातार उपस्थित होते रहे हैं। अतः कम से कम सजा दिये जाने का निवेदन किया। ए०डी०पी०ओ० ने आरोपीगण को कठोर से कठोर दंड देने का निवेदन किया प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आरोपीगण ने एकराय होकर सुनियोजित तरीके से अपराध किया, यदि आरोपीगण को कठोर दंड नहीं दिया गया तो निश्चित ही समाज में इस प्रकार के अपराधों में वृद्धि की संभावना बढ़ेगी।

27/ आरोपीगण को धारा 148 एवं 147 आदवि में दोषसिद्ध पाया गया है अतः उन्हें उक्त दोनों अपराधों में दण्डित किया जाना आवश्यक नहीं है, बल्कि केवल दोनों में से गुरुतर अपराध में दण्डित किया जाना पर्याप्त है। अतः आरोपीगण चन्द्रशेखर शुक्ला, पप्पू उर्फ अवधेश तिवारी, रमेश खंगार, हेमराज खंगार, धर्मेन्द्र खंगार, अतरसिंह यादव, संतु उर्फ संतराम पाल, सुरेन्द्र सिंह, शेर सिंह यादव, मानसिंह यादव को भा०द०सं० की धारा 148 के अपराध के लिए प्रत्येक को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000-1000/- रुपये इस प्रकार कुल 10,000/- रु०

11.8.15  
अरविन्द सिंह  
अधीक्षक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
निवाडी जिल्ला टीकमगढ़ (म.प्र.)

(दस हजार रुपये मात्र) के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है. धारा 427 के अपराध के लिए प्रत्येक को 01-01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3000-3000 /-रुपये इस प्रकार कुल 30,000 /-रुपये (तीस हजार रुपये मात्र) के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है एवं धारा 336 के अपराध के लिए प्रत्येक को 03-03 माह के कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है इस प्रकार सभी आरोपीगण को कुल मिलाकर चार-चार हजार रुपये कुल चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड में व्यतिक्रम पर प्रत्येक को प्रत्येक व्यतिक्रम पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताया जावे। कारावास की सभी सजाएँ साथ-साथ भुगताई जावे।

28 / धारा 428 द0प्र0स0 के तहत आरोपीगण द्वारा इस प्रकरण-में निरोध में भोगी गई अवधि का प्रमाण पत्र बनाकर संलग्न किया जाये।

29 / प्रकरण में जप्त मोटरसाइकिल हीरो होण्डा पेशान क्रमांक यू.पी. 93 जे. 8926 चेक्स नम्बर 02621ई11628 पूर्व से सुपुर्दगीनामा पर दी जा चुकी है सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भार-मुक्त हो। अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे। जबकि अन्य जबाशुदा मोटरसाइकिल बजाज कैलिवर चैचिक नम्बर डी.डी.एफ.बी.एच.जी. 96845 एवं कमाण्डर महिंद्रा जीप डी.आई. क्रमांक एम.पी. 15 ए. 0648 उनके रजिस्टर्ड स्वामी को अपील अवधि पश्चात् विधिवत् वापिस की जावे।

30 / निर्णय की प्रति आरोपीगण को निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व श्रे. बोलने पर टंकित किया गया हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

*[Signature]*  
(अरविन्द सिंह)

न्यायिक सजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
निवाडी-टीकमगढ़ (प्रदेश)

*[Signature]*  
11.8.15  
(अरविन्द सिंह)

न्यायिक सजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
निवाडी-टीकमगढ़ (प्रदेश)

विषय प्राप्त का बिनाफ

अदालत को दिनांक 14-9-15  
दिनांक 9-9-15  
के भेजने

8-9-15

जारी बिबर

दिनांक 7-9-15

जारी बिबर

सत्य प्रतिलिपि

प्रभास अधिकारी  
प्रतिलिपि अनुभाग  
निवाडी जिला-टीकमगढ़

प्रमुख सचिव,  
विधान परिषद,  
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक 23 जुलाई, 2004 को पुलिस प्रशासन शांती द्वारा जारी की गयी अपराधियों की सूची के अर्थ में श्री एन्ड्र डेवर हुसैन का नाम दिया गया है। श्री हुसैन इससे पूर्व महोबा के हिन्दू शीटर अपराधी रहे हैं तथा महोबा में उनकी हिन्दू शीट संख्या 33 ए थी। महोबा में उनकी बढ़ती हुई अपराधिक आपराधिक गतिविधियों के फलस्वरूप उनकी जिला महोबा से जिला बदर कर दिया गया था। इसके पश्चात ये संलग्न शांती द्वारा अपराध की दुनिया में लिप्त हो गये तथा शांती में उनकी हिन्दू शीट पुन गयी जिसका क्रम 27 है।

शांती में इन पर लगभग 140 मुकदमे चल रहे हैं जिनमें कोआपरेटिव बैंक के पीछे श्रीमती मीरा गुप्ता के अज्ञान पर कब्जा करने का प्रयास करने, अपराधकारी करने हेतु गाड़ी में नीली बत्ती लगाने का प्रयत्न, कर्मी पते टैकर रिवालयर व राइफल के साइतमन प्राप्त करने, बिना मानविकी वॉल करायें अवन का निर्माण कराना, अनेक अवन/मुकदमों पर अनधिकृत रूपसे कब्जा करना तथा न्यायिक अधिकार शांती के साथ अशुभता करना आदि सम्मिलित है। इनकी आपराधिक गतिविधियों का ध्वंसा हो चुके श्री 0 रामजी सिंह, सदस्य, विधान परिषद ने दिनांक 05 जुलाई, 2004 को प्रमुख सचिव, गृह को पत्र लिख कर श्री एन्ड्र डेवर हुसैन द्वारा किये जा रहे तमाम आपराधिक कार्यों की जांच सी०पी०सी०आई०सी० में कराये जाने की मांग की थी जिस पर भी अब तक कोई कार्रवाई न कर तथा अधियुक्त को गिरफ्तार न कर उसको तैरपव दिये जाने का ही प्रयास किया जा रहा है।

अतः, लोक महत्व के इस मुनिनिष्ठा प्रश्न पर तदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये भी इस विषय पर सततव्य दिवाये जाने तथा घटना की जांच सी०पी०सी० आई०सी० में कराये जाने की मांग करती हैं।

दिनांक : 05 अगस्त, 2004 ✓

विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2005 के तृतीय बुधवार हेतु निर्धारित श्री स्वतंत्र लेव भिंड, पारो सदस्य विधान परिषद द्वारा पूरे गये तारांकित प्रश्न संख्या-27 व 28 के उत्तर ।

प्रश्न

27-क क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि शासन द्वारा शासनादेश सं०-86सी. आर्.डी. /9:- पु०-4-2004-7831। 8बी/04 दिनांक 05नवम्बर, 2004 के माध्यम से जिला महोबा एवं झांसी के कतिपय हिस्ट्री शीटर अपराधियों की अपराधिक गतिविधियों की जांच सी०बी०पी०आर्०डी० को सौंपी गई है ?  
इ. 8 यदि हां, तो उक्त शासनादेश के माध्यम से किन-किन अपराधियों की किन किन अपराधिक गतिविधियों की जांच सी०बी०पी०आर्०डी० को सौंपी गई है तथा जांच के टर्म आफ रिफरन्स क्या है ?

इ. 9 उक्त जांच कब तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है तथा जांच कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

इ. 10 क्या जनपद महोबा एवं झांसी के नागरिकों की हिस्ट्री शीटर अपराधियों के भातक से मुक्त कराये जाने हेतु जांच कार्य एक माह के अन्दर पूर्ण कराकर कार्रवाई कराये जाने के आदेश निर्गत करेंगे ?

इ. 11 यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हाँ ।

उक्त शासनादेश के माध्यम से जिला महोबा एवं झांसी के हिस्ट्री शीटर चन्द्रशेखर शुक्ला द्वारा की जा रही कतिपय अपराधिक गतिविधियों की जांच अपराध शीट, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी गयी।

उक्त जांच अपराध शीट, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा दिनांक 31.12.04 को पूर्ण की जा चुकी है।

जांच दिनांक 31.12.04 को पूर्ण हो चुकी है, इस संबंध में जांच सोख्या रखा जाकर करते हुए सुसंगत शासनादेश के अनुसार कार्रवाई कराये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

उपरोक्त से स्पष्ट है ।

... 2

28-क्या मुख्यालय जी मह भी बतायें कि सी०बी०सी०आई०डी० के किस स्तर के अधिकारियों द्वारा उक्त जांच की जा रही है ?

क्या विगत 2 माह में की गई जांच की कोई अन्तरिम रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है ?

यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

उक्त जांच सी०बी०सी०आई०डी० के निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी हैं।  
जी हां।

सी०बी०सी०आई०डी० की संतुति को स्वीकार करते हुए संगत शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु उन्हें आदेशों निर्गत कर दिये गये हैं।

पुलाय्य सिंह गान्त  
मुख्यालय।



न्यायालय विशेष न्यायाधीश एच0सी0एस0टी0एक्ट/अपर सत्र

न्यायाधीश, झाँसी ।

उपस्थित - श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव, एच0जे0एस0

जमानत प्रार्थनापत्र सं0-236/2010

1- चन्द्रशंकर शुक्ला,

2- सुरेश सैनी,

प्रतिपाल सोनी ----- बनाम ----- सरकार

जमानत प्रार्थनापत्र सं0- 280/2010

राजेंद्र खरे ----- बनाम ----- सरकार

जमानत प्रार्थनापत्र सं0-273/2010

प्रमोद शिवहर ----- बनाम ----- सरकार

धारा- 147,148,149,352,440,332,307,308,353/34 भाद0 सं0

1/4 लो0 संपत्ति क्षति विचारण अधिनियम : 7 कि0

जॉ एनेन्डमेंट एक्ट

थाना- नवाबाद, जिला- झाँसी  
अपराध सं0-85/2010

आदेश

उपरोक्त वर्णित तीनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध संख्या से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ एक ही आदेश से किया जाएगा तथा यह आदेश जमानत प्रार्थनापत्र सं0- 236/2010 में पारित किया जाएगा

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर उनके अधिवक्तागण एवं राज्य की ओर से लोक अभियोजक के तर्क सुने हैं तथा अभिलेख का परिशीलन किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनांक 22-2-2010 को उपरोक्त 11-15वगैरे पुलिस कंट्रोलरूप से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री रामलखन, सरोज प्रमारी, निवेशक, थाना- नवाबाद, झाँसी जिला झाँसी दीवानी न्यायालय परिसर झाँसी में अत्यंत तथा गंभीर अशान्तिपूर्ण वातावरण का एक संघर्ष प्रार्थी/अभियुक्तागण सम्मिलित परिसर के भीतर का हुआ था। हाथ में शेरकर हंगामा करते हुए न्यायालय कक्ष में गंदा तेल गिराते हुए मुहरिर पर हमला कर दिया, न्यायालय कक्ष की कुर्सियाँ, डायर का टॉर्च ग्लास तोड़ डाला तथा मृत्यु कारित करने के आशय से न्यायालय के कोर्ट मुहरिर श्री सन्तराम पर हमला किया। अधिवक्तागण के उगत समूह ने इस प्रकार एक राय होकर हंगामा कर तोड़फोड़ कर न्यायिक कार्य बाधित किया, तथा जान से मारने की धमकी दी जिससे न्यायालय परिसर में अफरातफरी बृथ गई तथा न्यायालय में

न्यायालय  
जिला एवं सत्र  
न्यायाधीश, झाँसी  
उत्तर प्रदेश

12A  
1

कार्यरत न्यायालय कर्मी एवं न्यायाधीश आगव कार्य छोड़कर जान जाने के लिए विश्राम कक्ष में चले गए। उक्त घटना के दौरान घटनास्थल से अभियुक्तगण चन्द्रशेखर शुक्ला, सुरेश सीनी, प्रतिपालसोनी, राजेन्द्र खन्ना को मोक से गिरफ्तार किया गया जब कि शेष भाग गए।

श्री रामलखन सरोज की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट में वर्णित व्यक्तियोंकेविरुद्ध धारा147,148,149,352,440,332,307,308,353/34भाद0सं0 3/नलो0न्यायाधीश विद्यान अभियोग एवं 7कि0 लॉ एग्जेंडमेंट एक्ट के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया। यकी विवेचना आता है।

अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिवक्ता का तर्क है कि घटना के समय घटना पर एक न्यायाधीश प्रथम न्यायाधीश श्री विद्यान के तथः न्यायाधीश आदेश के तहत नाजिर श्री रामकिशुन के द्वारा अभियोग पंजीकृत होने के बाद इसी घटना के संबंध में प्रभारी निरीक्षक, थाना-नायाबाद को अभियोग पंजीकृत कराने का कोई अधिकार नहीं था। अधिवक्ता का तर्क है कि प्रभारी निरीक्षक नायाबाद अरेस्टिंग अधिकारी है जिन्होंने मोक से चार अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया है। अतः ये घटना के वादी नहीं हो सकते। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रभारी निरीक्षक ने अधिवक्तागण को परेशान करने के लिए उनके विरुद्ध मुठान रिपोर्ट दर्ज कराई। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रभारी निरीक्षक द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध नाम से रिपोर्ट पंजीकृत कराना रिपोर्ट की विश्वसनीयता को भंग करता है वयो कि उनको अभियुक्तगण का नाम मान्य नहीं हो सकता था।

अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिवक्ता का तर्क है कि घटित घटना के एक दिन पूर्व जिला न्यायालय के न्यायालय में कार्यरत श्री रामकिशुन एवं श्री रामकिशुन पुलिस कर्मी ने न्यायालय कक्ष में अभियुक्त प्रमोद कुमार को गिरफ्तार करने के कारण उनसे अग्रद जवाहार किया था जिसकी शिकायत के तहत घटना के दिन अधिवक्तागण का समूह जा रहा था कि उन्हें गैरलायन संकेत दिया गया तथा इस बीच उक्त समूह में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए जिन्होंने न्यायालय कक्ष में घुस कर गड़फोड़ किया। न कि वर्तमान अभियुक्तगण ने। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित कोई भी अभियुक्त या अन्य घटित घटना के समय किसी घातक हथियार से सज्जित नहीं थे ताकि उनके विरुद्ध धारा-307, 308 भा0द0सं0 का मानला इन सके। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि घटित घटना में किसी भी अभियुक्त का कोई विशिष्ट रोल नहीं दर्शाया गया है बल्कि सामान्य आरोप लगाये गए हैं। विद्वान



अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्तगण दिनांक 23-2-2010 से जेल में निरूद्ध है तथा उनके जेल में रहने के कारण उनके वादकारियों को काफी गुप्तमान हो रहा है । साथ ही साथ उनके परिवार को भी कष्ट हो रहा है । अधिवक्ता का मत भी तर्क है कि अभियुक्तगण के लिए अपराध की मात्रा से अधिक दण्ड सुनाया जाता: उन्हें अब जमानत पर मुक्त कर दिया जाये ।

अभियुक्त प्रमोद शिवहरे के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह दिनांक 24-2-2010 से 11-3-2010 तक जब उन्हें न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया, तलातात विभिन्न न्यायालयों में-वर्ग्य करते रहे, जो इस बात का समक है कि यह घटना में संलिप्त नहीं थे तथा उन्हें जानबूझकर झूठा फरियाग गया है

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थनापत्र का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्तगण को भावनगत्मक तर्कों पर नहीं बल्कि तथ्यात्मक तर्कों पर जमानत की मांग करनी चाहिए । लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्त प्रमोद शिवहरे को विलम्ब से गिरफ्तार करने के कारण यह जमानत का पात्र नहीं हो सकते । लोक अभियोजक का यह भी तर्क है कि कथित अपराध अधिवक्तागण के एक बड़े समूह (विद्यमान प्रार्थी/अभियुक्तगण सम्मिलित) द्वारा कारित किया गया । जलप्रयोग के अनुसार, ज. वर में यह बात जाना प्रमाण नहीं है कि उस का घटना में क्या रोल था । लोक अभियोजक का तर्क है कि विद्वान के दौरान विभिन्न न्यायालयों के ज. वर पर अधिवक्तागण एवं न्यायालय कर्मचारीगण से गूँझाँछ की गई तथा सागो ने अपने वयान में कथित घटना की पुष्टि करते हुए इस में अभियुक्तगण की संलिप्तता बतलाई है जिसके कारण अभियुक्तगण जमानत के पात्र नहीं हैं ।

किसी अपराध की गम्भीरता का आंकलन उसकी प्रकृति के आधार पर नहीं बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि अपराध किस व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है । एक पदेलिख और जिम्मेदार व्यक्तिगणों से एक अनपद व्यक्ति की तुलना में अधिक अपेक्षाय होती है । वर्णित घटना के अनुसार दिनांक 23-2-2010 को पूर्वाह्न 11-15 बजे कि न्यायिक अधिष्ठाता की अदालत कार्य कर रही थी अधिवक्तागण के एक समूह ने, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्तगणभी सम्मिलित थे, नारवाजी करते हुए जिला न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष में जाकर कोर्ट मुहरिर को मारपीटा तथा सिडकी दरवाजों तथा इनके कॉच को तोड़ा तथा हंगामा किया । तत्पश्चात न्यायालय कक्ष से लगे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के कक्ष में घुसकर सहायक सर्ट तोड़ा, तत्पश्चात उक्त समूह

\_\_\_\_\_

(दिशक सप्ट)  
मुद्राई विभागात्  
धर धर विभा  
विभागात्



